

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग

क्रमांक प-1(140) कार्मिक/क-3/जाँच/2023

जयपुर, दिनांक:

आदेश

सुश्री निधि सिंह, आर.ए.एस., तत्कालीन सहायक कलक्टर बूंदी (स्थानान्तरणाधीन) को कार्मिक (क-4/1) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(1)का/क-4/1/2023 दिनांक 24.10.2023 द्वारा निलम्बित किया गया।

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के प्रकरणों में पुनरावलोकन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 08.05.2024 अनुसार प्रकरण में विचार किये जाने के उपरान्त समिति द्वारा सुश्री निधि सिंह, आर.ए.एस. को निलम्बन से बहाल किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः राज्य सरकार सुश्री निधि सिंह, आर.ए.एस., तत्कालीन सहायक कलक्टर बूंदी (स्थानान्तरणाधीन) को इनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना निलम्बन से बहाल किये जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

सुश्री निधि सिंह, आर.ए.एस., तत्कालीन सहायक कलक्टर बूंदी (स्थानान्तरणाधीन) की निलम्बन अवधि का नियमितीकरण इनके विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच कार्यवाही में अंतिम निर्णय होने पर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01 संयुक्त सचिव, (ए.आर.) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बारकोड संख्या एफ 24001421 दिनांक 08.04.2024 के संदर्भ में।
- 02 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 03 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 04 शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-4/1) विभाग।
- 05 शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10(21)2017
- 06 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 07 सुश्री निधि सिंह, आर.ए.एस., तत्कालीन सहायक कलक्टर बूंदी (स्थानान्तरणाधीन) क्रम संख्या 07 द्वारा-शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-4/1) विभाग।
- 08 कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 09 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 10 रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref
7068274



Signature valid

Digitally signed by Kalash Chandra
Kumawat
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.05.09 11:18:47 IST
Reason: Approved